।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला–दुर्ग ।।

प्ररूप–ङ

(नियम 7 (2) देखिये)

अनुमति

क्रमांक / /प्र.02/अ.वि.अ./2025 दुर्ग, दिनांक 28/07/2025

प्रति,

श्री गौरव गजरानी
Sr.DEN/W/R/SCER
द.पू.म. रेलवे रायपुर

विषय :– वृक्ष की कटाई किये जाने के संबंध में अनुमति।

संदर्भ :– राजस्व प्रकरण क्रमांक 202507100400445/अ–62/सन् 2024–25.

-----00-----

विषयांतर्गत आपका पत्र दिनांक **02.04.2025** को इस कायार्लय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक **15.04.2025** को प्राप्त किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक **04.07.2025** (प्राप्ति दिनांक 17.07.2025) को प्राप्त हुआ।

आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम मरोदा से चिरपोटी तक स्थित आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है– ग्राम रिसाली 05 नग वृक्ष, ग्राम उमरपोटी 51 नग वृक्ष, ग्राम पुरई 19 नग वृक्ष, पाउवारा 52 नग वृक्ष, मातरोडीह 28 नग वृक्ष, रिसामा 32 नग वृक्ष, मतवारी 08 नग वृक्ष, चिरपोटी 05 नग वृक्ष, कुल 200 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्षों को रेलवे ट्रेक के पास ट्रेनों के सुरक्षित यातायात को प्रभावित करने के कारण उक्त वृक्षों कटाई की अनुमति दिया जाना, प्रतिवेदित किया गया है।

राजस्व निरीक्षक एवं सहायक, वन परिक्षेत्र अधिकारी, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मय पंचनामा के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि ग्राम रिसाली 05 नग वृक्ष, ग्राम उमरपोटी 51 नग वृक्ष, ग्राम पुरई 19 नग वृक्ष, पाउवारा 52 नग वृक्ष, मातरोडीह 28 नग वृक्ष, रिसामा 32 नग वृक्ष, मतवारी 08 नग वृक्ष, चिरपोटी 05 नग वृक्ष स्थित है। जिनमें महानीम 11 नग, बबूल 71 नग, सफेद बबूल 74 नग, सेमल 01 नग, गंगा इमली 02 नग, पलास 04 नग, खजूर 17 नग, अर्जुन 01 नग, करंज 01 नग, सागौन 05 नग, जामुन 01 नग, जंगली कपास 01 नग, आम 01 नग, पेल्टाफार्म 02 नग, अमलतास 01 नग, सिरस 01 नग, पीपल 01 नग कुल 200 नग वृक्षों को रेलवे ट्रेक के पास ट्रेनों के सुरक्षित यातायात हेतु जनहित में काटे जाने पर किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर संलग्न सूची अनुसार कटाई की अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुमति ओदश दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग (छ.ग.)
28/7/25

पृ.क्रमांक / /प्र.03/अ.वि.अ./2025 दुर्ग, दिनांक 28/07/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल.दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. तहसीलदार, दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
दुर्ग
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग (छ.ग.)
28/7/25

Scanned with CamScanner